



भारत सरकार
(वित्त मंत्रालय)

कार्यालय आयकर आयुक्त - प्रथम कानपुर
आयकर भवन, 16/69, सिविल लाइन्स, कानपुर

फॉर्स 614/1824 /आ० आ० प्रथम /कानपुर /तक० /कानपुर

दिनांक 04/02/2010

सेवा में

श्रमिक भारती,
392 विकास नगर, लखनपुर,
कानपुर।

विषय : आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80जी के अधीन कर मुक्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण।

ज्ञातव्य है कि उपरोक्त संस्था को आयकर आयुक्त प्रथम, कानपुर ने अपने दिनांक 08/11/1996 के आदेश संख्या फॉर्स 80G /908 आ०आ०-1/नवी० /कानपुर/ तक० /कानपुर द्वारा दिनांक 01/04/1994 से दिनांक 31/03/1999 तक की अवधि के लिए आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 जी के अर्न्तगत कर मुक्ति प्रमाण पत्र दिया था। अब उक्त प्रमाण पत्र द्वारा 80 जी के अर्न्तगत प्रदान की गई कर मुक्ति को दिनांक 19/08/2009 से एतद्वारा निम्नलिखित शर्तों पर नवीनीकरण किया जाता है।

- 1 आदेश संख्या फॉर्स उपरोक्त दिनांक 24/10/1994 में वर्णित शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित किया जाए।
- 2 संस्था न्यास के उद्देश्यों नियमों व सविधान न होने वाली किसी भी संशोधन या परिवर्तन की सूचना इस कार्यालय को परिवर्तन संशोधन की तिथि से एक सप्ताह के भीतर दी जाए।



समसंख्या एवं दिनांक 04/02/2010

- 1 श्रमिक भारती, 392 विकास नगर, लखनपुर, कानपुर।
- 2 आयकर उपायुक्त -1, कानपुर को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

ह०/-

(आनन्द दीप)

आयकर आयुक्त प्रथम, कानपुर
(आनन्द दीप)
आयकर आयुक्त-प्रथम
कानपुर

(सूर्य कान्त मिश्र)

आयकर अधिकारी (तकनीकी)
कृते आयकर आयुक्त -प्रथम, कानपुर

(सूर्य कान्त मिश्र)
आयकर अधिकारी (तकनीकी)
कार्यालय आयकर आयुक्त-1
कानपुर